## उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972
## [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, 1972]

-----------------

उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1975

उ० प्र० अधिनियम सं० 06, 1992

**द्वारा संशोधित**

**(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)**

[राज्य सरकार या उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिसूचित किसी अन्य निगम या किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अन्य अनुसूचित बैंक या किसी सरकारी सरकारी कम्पनी को दिये जाने वाले कतिपय वर्ग के देयों की, भूतलक्षी प्रभाव से, शीघ्र वसूली की व्यवस्था करने, और पूर्वकृत कतिपय कृत्यों और की गई कार्यवाहियों का वैधीकरण करने, और तत्सम्बधी विषयों की व्यवस्था करने के लिए ]

### अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः-

**1- संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भः-** (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2)- इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3)- यह धारा और धारा 2 से 5 तक 4 दिसम्बर, 1965 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

**2- परिभाषायें:-** जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में-

(क) " निगम" का तात्पर्य स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, 1951 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से है, और इसके अन्तर्गत कोई अन्य निगम भी है जिस पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हो और जो राज्य सराकर द्वारा सरकारी गजट में तदर्थ जारी की गई अधिसूचना में निर्दिष्ट हो;

(ख) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य ऐसी वित्तीय सहायता से है जो-

(1). किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने, उसका विस्तार या आधुनिकीकरण या नवीनीकरण करने अथवा उसे चलाने के लिए, या

(2). व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए, या

(3). कृषि, औद्यानिकी, पशुपालन या कृषि-उद्योग के विकास के लिए, या

(4). किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के प्रयोजनों के लिए, या

(5). विपत्ति में सहायता के लिए;

दी जाय,

(ग) "सरकारी कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित गवर्नमेट कम्पनी से है,

(घ) "औद्योगिक संस्था" का तात्पर्य वहीं होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, 1951 में पद 'इण्डस्ट्रियल कन्सर्न' के लिये दिया गया हो;

(ड़) ''औद्योगिक उपक्रम'' के अन्तर्गत कोई ऐसा उपक्रम भी है जो माल के निर्माण, संरक्षण, संग्रहण अथवा प्रक्रिया या खनन अथवा होटल उद्योग अथवा यात्रियों या माल के परिवहन या विद्युत अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण के लिए, अथवा औद्योगिक आस्थान के रूप में किसी समीपवर्ती क्षेत्र की भूमि का विकास करने के लिए हो ;

**स्पष्टीकरणः-** पद ''माल की प्रक्रिया करना'' के अन्तर्गत किसी पदार्थ पर हस्तसाधित, यान्त्रिक, रासायनिक, विद्युत या उसी प्रकार की कोई अन्य क्रिया करके किसी वस्तु को उत्पादित करने, तैयार करने अथवा बनाने के निमित्त कोई कला या प्रक्रिया है।

(च) ''बैंकिंग कम्पनीं'' का तात्पर्य स्टेट बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1955 के अधीन संघटित स्टेट बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सबसिडियरी बैंक्स) ऐक्ट, 1959 में यथा-परिभाषित सब्सिडियरी बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के अधीन संघटित सादृश्य नये बैंक अथवा बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में यथा-परिभाषित बैंकिंग कम्पनी [1][अथवा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में यथा परिभाषित किसी वित्त पोषक बैंक या केन्द्रीय बैंक जो भूमि विकास बैंक न हो ] से हैं,

(छ) ''राज्य द्वारा पुनरोनिधानित योजना'' का तात्पर्य वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पुनरोनिघानित ऐसी योजना से है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या तो किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी को ऋण वितरित करने, अग्रिम धनराशि या अनुदान देने के लिये अथवा माल को उधार बेंचने या उसके क्रयावक्रय के लिए अग्रिम धनराशि देती है या ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान की वापसी के लिए अथवा उधार या क्रयावक्रय पर बेंचे गये माल की कीमत के भुगतान के लिए प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने का अनुबन्ध करती है [2][तथा इसके अंतर्गत किसी बैंकिंग कंपनी या किसी सरकारी कंपनी द्वारा वित्तीय सहायता की कोई ऐसी योजना भी है जिसे राज्य सरकार गज़ट में अधिसूचना द्वारा राज्य पुरोनिधानित योजना घोषित करें | ]

**3- कतिपय देयों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली-** (1)- यदि कोई व्यक्ति-

(क) राज्य सरकार या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान अथवा उसे उधार बेंचे गये या क्रयावक्रय पर बेंचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ख) राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत, यथास्थिति बैंकिंग कम्पनी या किसी सरकारी कम्पनी द्वारा उसे दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान या अनुदान से सम्बद्ध या उस उधार बेचे गये या क्रयावक्रय पर बेंचे गये माल से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ग) किसी औद्योगिक संस्था द्वारा लिये गये ऋण के सम्बन्ध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गई प्रत्याभूति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(घ) किसी ऐसे अनुबन्ध में जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई हो कि राज्य सरकार [3][या निगम ] को तद्धीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी;

---

[1] उ० प्र० अधिनियम सं० 17 आफ 1975 की धारा 2(1) द्वारा बढाया गया (दिनांक 31-03-1975 से प्रवृत्त) |

[2] उ० प्र० अधिनियम सं० 17 आफ 1975 की धारा 2(2) द्वारा बढाया गया (दिनांक 31-03-1975 से प्रवृत्त) |

[3] उ० प्र० अधिनियम सं० 17 आफ 1975 की धारा 3(1)(क) द्वारा बढाया गया (दिनांक 31-03-1975 से प्रवृत्त) |

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति-

(1) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करें, या

(2) अनुदान की शर्तो के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिए देनदार हो जाने पर, ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त को वापस करने में कोई चूक करें, या

(3) अन्य प्रकार से अनुबन्ध की शर्तो का पालन न करें, तो राज्य सरकार की दशा में, ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, तथा निगम या सरकारी कम्पनी की दशा में, उसका प्रबन्ध निदेशक, [1][अथवा जहाँ कोई प्रबंध निदेशक न हो वहां निगम का अध्यक्ष, वह चाहे जिसे नाम से पुकारा जाता हो] [2][अथवा निगम या सरकारी कंपनी का ऐसा अधिकारी, जिसे प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये ] और किसी बैंकिंग कम्पनी की दशा में, उसका स्थानीय एजेन्ट, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करके इस अनुरोध के साथ एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है कि उपर्युक्त धनराशि को कार्यवाहियों के व्यय सहित मालगुजारी की बकाया के रूप में वूसल किया जाय।

(2) कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वूसल करने की कार्यवाही करेगा।

(3) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति के विरूद्ध उपर्युक्त प्रकार से देय किसी भी धनराशि की वसूली के लिए कोई वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

[3][(4) उपधारा (1) में अभिदिष्ट किसी ऐसे अनुबन्ध की दशा में जो उक्त उपधारा में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति और राज्य सरकार या निगम के बीच हो, उक्त उपधारा के अधीन देय किसी दावाकृत धनराशि की वसूली के लिये या ऐसे दावे के सही होने के सम्बन्ध में आपत्ति करने के लिये किसी पक्ष की प्रेरणा पर कोई माध्यस्थम कार्यवाहियां नहीं की जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि जब कभी किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी ऐसी धनराशि की वसूली के लिए कार्यवाही की जाय तो वह ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारी को दावाकृत धनराशि का भुगतान से विरोध कर सकता है, और ऐसा भुगतान करने पर कार्यवाही, रोक दी जायेगी और वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध ऐसी कार्यवाही की गई थी, इस प्रकार भुगतान की गई धनराशि के सम्बन्ध में माध्यस्थम अनुबन्ध के अधीन अभिदेश या उसको अन्यथा प्रवृत्त कर सकता है, और ऐसे अभिदेश या प्रवर्तन के सम्बन्ध में यथास्थिति, यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 183 अथवा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 287- क के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे सिविल न्यायालय में किसी वाद के संबंध में लागू होते है।

---

[1] उ० प्र० अधिनियम सं० 17 आफ 1975 की धारा 3(1)(ख) द्वारा बढाया गया (दिनांक 31-03-1975 से प्रवृत्त) |

[2] उ० प्र० अधिनियम सं० 06 आफ 1992 की धारा 2 द्वारा बढाया गया (दिनांक 11-03-1992 से प्रवृत्त) |

[3] उ० प्र० अधिनियम सं० 17 आफ 1975 की धारा 3(2) द्वारा बढाया गया और सदेव से बढाई गयी समझी जाएँगी |

(5) इस धारा को उपधारा (4) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड अथवा यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 183 या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम,1950 ई० की धारा 287-क में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाए, उपधारा (1) के अधीन, कलेक्टर को भेजा गया प्रत्येक प्रमाण-पत्र अन्तिम होगा और उस पर किसी मूल वाद, आवेदन (जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के अधीन कोई आवेदन भी है) या माध्यस्थम के लिये किये गये किसी अभिदेश में कोई आपित्त नहीं की जायगी, और इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई अथवा किये जाने के लिये आशयित किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश नहीं स्वीकृत किया जायगा। ]

**(4) अपवादः-** (1) धारा 3 की किसी बात से-

(क) राज्य सराकर, निगम, सरकारी कम्पनी या किसी बैंकिंग कम्पनी की किसी सम्पत्ति में किसी बन्धक, मार, गिरवी या अन्य प्रभार द्वारा सृजित किसी स्वत्व पर कोई प्रभाव न पड़ेगा; या

(ख) उक्त धारा में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध, उक्त धारा में अभिदिष्ट किसी अनुबन्ध के सम्बन्ध में की गई क्षतिपूर्ति या प्रत्याभूति की संविदा के सम्बन्ध में अथवा खण्ड (क) में अभिदिष्ट किसी स्वत्व के सम्बन्ध में कोई वाद लाने में रूकावट न होगी, और न ही किसी अन्य अधिकार या उपचार पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

(2) यदि धारा 3 में अभिष्टि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति राज्य सरकार, निगम, सरकारी कम्पनी, बैंकिंग कम्पनी के पक्ष में किसी बन्धक, भार, गिरवी अथवा अन्य किसी प्रभार स्वरूप ग्रस्त है, तो-

(क) माल की गिरवी के प्रत्येक मामले में, सर्वप्रथम गिरवी रखी गई चीज को बचेने की कार्यवाही की जायेगी, और यदि इसका विक्रय आगम देय धनराशि से कम हो, तो अवशेष की वसूली के लिए उसी प्रकार कार्यवाही की जायेगी मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो,

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि, यथास्थिति, स्वयं उसे अथवा निगम, सरकारी कम्पनी अथवा बैंकिंग कम्पनी को देय धनराशि की वूसली को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह गिरवी रखी गई चीज की बिक्री के पूर्व अथवा बिक्री की कार्यवाही करते समय, कारण अभिलिखित करके, निदेश दे सकती है कि देय धनराशि की वसूली के लिये उसी प्रकार कार्यवाहियां की जायं मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो,

(ख) किसी अचल संपत्ति पर होने वाले बन्धक, भार अथवा अन्य प्रभार के प्रत्येक मामले में, सर्वप्रथम ऐसी सम्पत्ति या जैसी भी दशा हो, सम्पत्ति में बाकीदार का स्वत्य, उक्त व्यक्ति द्वारा देय धनराशि की वसूली की कार्यवही के अन्तर्गत प्रथमतः इस प्रकार बेचा जायगा मानों कि वह मालगुजारी की बकाया हो, तथा तदुपरान्त अन्य कोई भी कार्यवाही केवल तभी की जायेगी जब कलेक्टर यह प्रमाणित करे कि उचित अवधि के भीतर प्रथम वर्णित प्रक्रिया द्वारा देय सम्पूर्ण धनराशि को वसूलने की कोई सम्भावना नहीं है।

**5- निरसन -** लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

**6- वैधीकरण -** धारा 5 द्वारा लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1965 का निरसन होते हुये भी, और किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी राज्य सरकार या निगम या किसी सरकारी कम्पनी या स्टेट बैंक आफ इण्डिया या अन्य अनुसूचित बैंक द्वारा, अथवा राज्य सरकार या ऐसे निगम, कम्पनी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा, अथवा किसी

कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारिक द्वारा, अथवा कलेक्टर द्वारा नियुक्त या नियुक्त किये जाने के लिये तात्पर्यित रिसीवर द्वारा 4 दिसम्बर, 1965 और इस अधिनियम के प्रारम्भ के मध्य में की गई अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही, या किया गया अथवा किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य, जिसके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के अधीन अथवा उसके अनुसरण में मालगुजारी की बकाया के रूप में किसी धनराशि की वसूली के लिए जारी की गयी कोई अधिसूचना, जारी किया गया या भेजा गया प्रमाण-पत्र, रिसीवर की कृत नियुक्ति या कृत अन्य कार्यवाहियां भी है, जहां तक वे इस इस अधिनियम से असंगत न हो, वैध समझी जायेगी और उन्हें इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन या उनके अनुसरण में कृत कार्यवाही या कृत कार्य समझा जायगा।

**7- निरसनः-** उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।